01.09.2023 को राजविअ में लंबित न्यायालयी मामलों को दर्शाता हुआ विवरणः

1. उच्चतम न्यायालय

| क्र. | पिटीशन | ट्रिब्यूनल | सीजीएससी | दायर करने | शामिल बड़े मुद्दे | हलफना | वर्तमान स्थिति |
|------|---------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| सं. | संख्या तथा | का नाम | का नाम | की तारीख | | मा | |
| | पिटीशनर का | / | और | | | दाखिल | |
| | नाम | न्यायालय | मोबाइल | | | करने की | |
| | | | नं. | | | स्थिति | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | एसएलपी सं. | उच्चतम | श्री नरेश | 23.07.2012 | राजविअ ने | राजविअ | मामले में उच्च्तम |
| | 25388/12 | न्यायालय | कौशिक | | सेवानिवृत्त | पिटीशनर | न्यायालय नें अवकाश |
| | राजविअ द्वारा | | काउंसेल | | प्रशासनिक | है। | दिया है अगली तारीख |
| | दायर | | | | अधिकारी श्री | | नहीं दी गई है। |
| | | | | | टी.एम. सम्पत को | | |
| | | | | | दिल्ली उच्च | | |
| | | | | | न्यायालय द्वारा | | |
| | | | | | केन्द्रीय जल | | |
| | | | | | आयोग के बराबर | | |
| | | | | | उच्च वेतनमान | | |
| | | | | | दिए जाने के | | |
| | | | | | आदेश को चुनौती | | |
| | | | | | दी है। | | |
| 2. | एसएलपी सं. | उच्चतम | श्री डी.एस. | 07.04.2015 | राजविअ नें श्री | राजविअ | मामले में उच्च्तम |
| | 7365/15 | न्यायालय | मेहरा, | | एस.एस. इंगलेश्वर | पिटीशनर | न्यायालय नें अवकाश |
| | राजविअ द्वारा | | अधिवक्ता | | अधीक्षक के मामले | है। | दिया है। अगली तारीख |
| | दायर | | ऑन रिकार्ड | | में दिल्ली उच्च | | नहीं दी गई है। |
| | | | सेंट्रल | | न्यायालय द्वारा | | |
| | | | एजेंसी | | केन्द्रीय जल | | |
| | | | सेक्शन, | | आयोग के बराबर | | |
| | | | एमओएलजे | | उच्च वेतन मान के | | |
| | | | | | आदेश से चुनौती | | |
| | | | | | दी है। | | |

2. उच्च न्यायालय

| क्र. | पिटीशन | ट्रिब्यूनल | सीजीएससी | दायर करने | शामिल बड़े मुद्दे | हलफनामा | वर्तमान स्थिति |
|------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------|---------|------------------------|
| सं. | संख्या तथा | का नाम | का नाम | की तारीख | 3 | दाखिल | |
| | पिटीशनर का | / | और | | | करने की | |
| | नाम | न्यायालय | मोबाइल नं. | | | स्थिति | |
| | | | | | | | |
| 1 | डब्ल्यू पी सं. | तेलंगाना | श्री | 08.08.2005 | ई.ई पद पर | दायर | पिटीशनर की मामले में |
| | 17560/2005 | उच्च | बोम्मिनेनी | | पदोन्नति के | | पैरवी करने की रूचि नही |
| | श्री राम राज | न्यायालय | नारायण | | लिए। | | है। तथापि, मामला अभी |
| | द्वारा दायर | (हैदराबाद) | रेड्डी (स.सो. | | | | लंबित है। अगली तारीख |
| | किया गया | | जनरल) | | | | अभी तय नही है। |

| | | | (98480399 51) | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| 2 | डब्ल्यू पी सं. 3341/08 ओ.एं.सं. 239/ 2008 के खिलाफ राजविअ द्वारा दायर | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री नरेश कौशिक कांउसल | 29.04.2008 | राजविअ ने श्री टी.एम. संपत, प्रशा. अधिकारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कैट के निर्णय को चुनौती दी | राजविअ पिटीशनर है। | सुनवाई की पिछली तिथि 21.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 3 | डब्ल्यू पी सं. 9083/09 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया। | उ च्च | श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल | 06.04.2009 | श्री टी.एम संपत ने श्री दयानंद उपनिदेशक (प्रशासन) की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आदेश तथा उनका उ.नि.(प्रशा.) पर नियुक्ति के लिए डीपीसी समीक्षा बैठक पर ओदश दिनांक 07.04.2008 सं. 220/2007 को चुनौती दी है। | दायर | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नही है। |
| 4 | डब्ल्यू पी सं. 11709/09 श्री एन. डी. शुक्ला ने दायर किया। | | श्री राधे लाल गुप्ता एएसजी | 11.06.2009 | ए.सी.पी योजना के अंतर्गत लाभ देने के संबंध में | दायर | अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 5 | डब्ल्यू पी(सी) सं. 8604/10 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री आर.वी. सिन्हा, कांउसल | 20.12.2010 | दिनांक 23.12.2004 को 3.नि.(प्रशा.) के पद पर चयन तथा 3.नि.(प्रशा.) के पद पर पदोन्नित के लिए चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा | दायर | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नही है। |
| 6 | डब्ल्यू पी सं. 366/2017 राजविअ द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल | 06.01.2017 | राजविअ ने श्री टी.एम. सम्पत प्रशा. अधिकारी के मामले में दिनांक 27.06.2008 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश को | राजविअ पिटीशनर है। | सुनवाई की अगली तिथि 22.09.2023 है। |

| किविल अपील सं. 74/2016 को केट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चेट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चुनाती दी है। यदेश उच्च युजार जैन महायेता राय पंचार्थ एवं किन्या यावाय वाचिर (जयलपुर) वाचाय के लिए। 11,60,000/- 11, | | | | | | | | |
|--|----|----------------|-------------|---------------|------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| किया गया। किया किया गया। किया गया। किया किया किया किया किया किया किया किया | | | | | | _ | | |
| अंगे.ए. सं. 2504/2008 को चुर्जीती दी है। अंगे.ए. वें. अंगे.ले. के सं. 2504/2008 को चुर्जीती दी है। अंगे.ले. सं. 2504/2008 को चुर्जीती है। अंगे.ले. सं. 250 | | | | | | 04.08.2016 को | | |
| किया गया। किया किया किया किया किया किया किया किया | | | | | | कैट, दिल्ली के | | |
| पुनौती दी है। प्रेस्थ उच्च क्ष्मण्या प्रायालय (जबलपुर) प्रायालय | | | | | | ओ.ए. सं. | | |
| सिविल अपील सं. 74/2016 प्रदेश उच्च कुमार जैन वि. | | | | | | 2504/2008 को | | |
| सं. 74/2016 मैसर्स महाश्वेता राय चौधरी देश प्रदेश उच्च न्यायालय (जवलपुर) चौधरी चौधरी दायर क्रमायोजन कम्पनी दायर प्रदेश उच्च कम्पनी दायर श्री जी कम्पनी दायर 04.12.2014 कार्तिकेयन ए.एस.जी, 944575805 9 पिटीशनर में त्यायात्य ए.एस.जी, 944575805 9 प्रतःराज्यीय पोल्नियार (नेंदुंगल अतीन्तिया पोल्नियार (नेंदुंगल अतिकट)- पालर नदी में तथा में तथा <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>चुनौती दी है।</td> <td></td> <td></td> | | | | | | चुनौती दी है। | | |
| #सर्स महाश्वेता राय चौधरी एंड कम्पनी द्वारा दायर 8 डब्ल्यू पी सं. उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी, विचलासामी तथा अन्य किया गया। 1 क्षिया गया। 8 डब्ल्यू पी सं. उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी, 944575805 9 1 डब्ल्यू पी सं. किया गया। 8 डब्ल्यू पी सं. उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी, 944575805 9 8 डब्ल्यू पी सं. विकालने के तिए निर्माणना के किया गया। 8 डब्ल्यू पी सं. उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी, (नेंदुंगल अनीकट)- पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी तिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के तिए निर्माणना के तिथ के तिए निर्माणना के तिथ के तिए निर्माणना के तिथ | 7 | सिविल अपील | मध्य | श्री जिनेंद्र | 15.12.2015 | ओवर बर्डेन | दायर | प्लीडिंग पूरी हो गई है। |
| महाश्येता राय पाँधरी एंड कम्पती द्वारा दायर अप्राप्त के कम्पती द्वारा दायर अप्राप्त के किया गया। अप्राप्त किया गया। अप्राप्त किया गया। अत्यावस्य पाँचिक स्वारा दायर किया गया। अत्यावस्य क्ष्मिक स्वारा दायर किया गया। अत्यावस्व क्ष्मिक स्वारा दायर क्ष्मिक स्वारा दायर किया गया। अत्यावस्व क्ष्मिक स्वारा दायर क्ष्मिक स्वराप दायर क्ष्मिक स | | सं. 74/2016 | प्रदेश उच्च | कुमार जैन | | ड्रिलिंग के लिए | | अंतिम बहस करना बाकी |
| चौधरी एंड कम्पनी द्वारा दायर श्री जी उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी, प्रस.ए. चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर श्री जी अ44575805 9 श्री नरेश कार्रिक देने की प्रार्थना के हिए। श्री कार्रिक द्वारा दायर किया गया। श्री करेश उच्च कार्रिक, न्यायालय होरा दायर किया गया। श्री करेश उच्च कार्रिक, न्यायालय होरा दायर किया गया। श्री करेश उच्च कार्रिक, न्यायालय वार्य किया गया। श्री करेश उच्च कार्रिक, न्यायालय को प्रारा दायर किया गया। श्री करेश उच्च कार्रिक, न्यायालय को प्रारा दायर किया गया। श्री करेश के प्रारा दायर किया गया। श्री करेश के प्रारा दायर किया गया। श्री करेश को प्रशासनिक | | मैसर्स | न्यायालय | | | □11,60,000/- क | | है। अगली तारीख अभी |
| कम्पनी द्वारा दायर जिए। जिए। | | महाश्वेता राय | (जबलपुर) | | | लंबित भुगतान के | | तय नहीं है। |
| वायर जिस्ता क्ष्में जिस्ता कार्तिकेयन प्रिटीशनर ने दायर राजविअ तथा जल संसाधन मंत्रातय दोनों प्रोफार्मा पार्टी हैं। अगली तारीख तय नहीं की गई है। जिस्ता कार्तिक देश हैं। जिस्ता कार्तिक देश हों। जिस्ता कार्तिक वारा होंग हों। जिस्ता कार्तिक वारा होंग होंग होंग होंग होंग होंग होंग होंग | | चौधरी एंड | | | | समायोजन के | | |
| डब्ल्यू पी सं. अद्वास अहा जो जी जी जी जी अंतःराज्यीय पिटीशनर ने अंतःराज्यीय पिटीशनर ने अंतःराज्यीय पिल्लायार अंतःराज्यीय पिल्लायार अंतःराज्यीय पिल्लायार अनिकट) - पातर नित्रुंगल अनीकट) - पातर नित्रुंगल अनीकट - पातर नित्रुंगल नित्रु | | कम्पनी द्वारा | | | | लिए। | | |
| 32371/ उच्च कार्तिकेयन ए.एस.जी. 944575805 9 | | दायर | | | | | | |
| 2014, श्री एस.ए. 944575805 9 पोल्लियार (तंदुंगल अनीकट)- पालर नदी जीड़ परियोजना के किया गया। किया गया। कि विक्री (तंदुंगल अनीकट)- पालर नदी जीड़ परियोजना के किया गया। कि विक्री (तंदुंगल अनीकट)- पालर नदी जीड़ परियोजना के किया गया। कि विक्री (तंदुंगल अनीकट)- पालर नदी जीड़ परियोजना के किया गया। के प्राचित्र के कि विक्री (विक्र से 6 किमी (विक्रालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। प्रार् | 8 | डब्ल्यू पी सं. | मद्रास | श्री जी | 04.12.2014 | पिटीशनर नें | दायर | राजविअ तथा जल |
| पस.ए. चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया। 9 | | 32371/ | उच्च | कार्तिकेयन | | अंत:राज्यीय | | संसाधन मंत्रालय दोनों |
| चिल्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया। 9 3नीकट)- पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। 9 3विक(2018 उच्च कोशिक, राजविअ द्वारा दायर किया गया। 9 3विकार)- पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। 7 4विकालवे के शिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। 9 4ववाई की अगली तिथि 707.12.2023 है। 61 61 62 63 64 64 65 65 66 67 74 75 76 76 76 77 78 78 78 78 78 78 | | 2014, श्री | न्यायालय | ए.एस.जी, | | पोन्नियार | | प्रोफार्मा पार्टी हैं। अगली |
| चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया। 9 डब्ल्यू पी सं. दिल्ली श्री नरेश 02.01.2018 राजविअ के सुनवाई की अगली तिथि पिटीशनर राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता में अधिवक्ता गया। 9 सुनवाई की अगली तिथि एस.एस. इंगलेश्वर, अधिवक्ता गया। 1 अनीकट)- पालर नदी जोड़ पिरोजेन्ना के निक्री लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। 9 इब्ल्यू पी सं. दिल्ली श्री नरेश 02.01.2018 राजविअ नें श्री एस.एस. एस.एस. हंगलेश्वर, अधिवक्ता इंगलेश्वर, अधिक्षक ग्रेड-। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | एस.ए. | | | | (नेदुंगल | | तारीख तय नहीं की गई |
| द्वारा दायर किया गया। किय | | चिन्नासामी | | 9 | | अनीकट)- पालर | | है। |
| किया गया। जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया | | तथा अन्य | | | | नदी जोड़ | | |
| जिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिंकालने के श्री पराजविअ सुनवाई की अगली तिथि एस.एस. पिटीशनर है। जिंकालने के श्री पानविअ प्रार्थना है। जिंकालने के श्री पानविअ सुनवाई की अगली तिथि जिंकालेश्वर, है। अधिकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | द्वारा दायर | | | | परियोजना के | | |
| जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के हिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की अगली तिथि एस.एस. जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के अगली तिथि जिल्ला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के अगली तिथि प्रांधित के प्रांधित के जिल्ला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के लिए निर्देश की अगली तिथि जिल्ला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के लिए निर्देश की अगली तिथि जिल्ला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के लिए निर्देश की अगली तिथि जिल्ला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के लिए निर्देश की काला है। जिल्ला के लिए निर्देश देने की प्रांधित के लिए निर्देश के लिए निर्देश की अगली तिथि जिल्ला है। | | किया गया। | | | | 54.15 किमी | | |
| अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। 9 डब्ल्यू पी सं. दिल्ली श्री नरेश 02.01.2018 राजविअ में श्री राजविअ मुनवाई की अगली तिथि 1636/2018 उच्च कौशिक, राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, है। उच्चायात्य किया गया। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | | | | | लिंक से 6 किमी | | |
| विकालने के लिए विदेश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश देने की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश की प्रार्थना की है। जिल्ला के लिए विदेश की प्रार्थना की जिल्ला की जिल | | | | | | छोड़ने और उसे | | |
| जिर्देश देने की प्रार्थना की है। जिर्देश देने की प्रार्थना की है। जिर्देश देने की प्रार्थना की है। जिर्देश पी सं. दिल्ली श्री नरेश जिर्देश ने श्री एस.एस. पिटीशनर पिटीशनर तायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | | | | | अन्य स्थान से | | |
| 9 डब्ल्यू पी सं. दिल्ली श्री नरेश 02.01.2018 राजविअ ने श्री राजविअ सुनवाई की अगली तिथि 1636/2018 उच्च कौशिक, राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | | | | | निकालने के लिए | | |
| 9 डब्ल्यू पी सं. दिल्ली श्री नरेश 02.01.2018 राजविअ नें श्री राजविअ मुनवाई की अगली तिथि एस.एस. पिटीशनर राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, अधिक्षक ग्रेड-। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | | | | | निर्देश देने की | | |
| 1636/2018 उच्च कौशिक, एस.एस. पिटीशनर राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | | | | | प्रार्थना की है। | | |
| राजविअ द्वारा न्यायालय अधिवक्ता इंगलेश्वर, है। दायर किया गया। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | 9 | डब्ल्यू पी सं. | दिल्ली | श्री नरेश | 02.01.2018 | राजविअ नें श्री | राजविअ | सुनवाई की अगली तिथि |
| दायर किया अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | 1636/2018 | उच्च | कौशिक, | | एस.एस. | पिटीशनर | 07.12.2023 है। |
| गया। (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक | | राजविअ द्वारा | न्यायालय | अधिवक्ता | | इंगलेश्वर, | है। | |
| को प्रशासनिक | | दायर किया | | | | अधीक्षक ग्रेड-। | | |
| | | गया। | | | | (अवकाश प्राप्त) | | |
| अधिकारी के पट | | | | | | को प्रशासनिक | | |
| VITTIN 14 | | | | | | अधिकारी के पद | | |
| पर पदोन्नित के | | | | | | पर पदोन्नति के | | |
| संबंध में कैट, नई | | | | | | संबंध में कैट, नई | | |
| दिल्ली के दिनांक | | | | | | दिल्ली के दिनांक | | |
| 27.11.2017 के | | | | | | 27.11.2017 के | | |
| ओ.ए.सं. | | | | | | ओ.ए.सं. | | |
| 773/2017 के | | | | | | 773/2017 के | | |
| | | | | | | आदेश को चुनौती | | |
| आदेश को चुनौती | | | | | | दी है। | | |
| | 10 | डब्ल्यू पी (एम | तमिल | श्री के. | 12.07.2018 | तमिलनाडु में | दायर | यू.एस.आर.सं. 66873 |
| दी है। | | डी) सं. | नाडु उच्च | बालासुंदरम | | युध्द स्तर पर | | दिनांक 26.08.2019 के |
| 10 डब्ल्यू पी (एम तिमल श्री के. 12.07.2018 तिमलनाडु में दायर यू.एस.आर.सं. 66873 | | 17307/ | न्यायालय | | | जल भंडारण के | | द्वारा न्यायालय में कांउटर |
| 10 डब्ल्यू पी (एम तिमल श्री के. 12.07.2018 तिमलनाडु में दायर यू.एस.आर.सं. 66873 डी) सं. नाडु उच्च बालासुंदरम युध्द स्तर पर दिनांक 26.08.2019 के | | 2018 श्री | (मदुरई) | | | लिए प्रभावी कदम | | एफीडेबिट दायर की गई |

| | के.के. रमेश | | | | उठाने के लिए | | है। अगली तारीख तय |
|----|-------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------|----------------------------|
| | | | | | (राजविअ से | | नहीं की गई है। |
| | द्वारा दायर | | | | • | | नहा का गई हा |
| | किया गया। | | | | संबंधित नहीं है।) | | |
| 11 | डब्ल्यू पी सं. | तमिलनाडु | श्री के. | 14.03.2019 | किसानों को | दायर | यूएसआर सं. 66874 |
| | 21170/ 2017 | उच्च | बालासुंदरम | | बचाने के लिए | | दिनांक 26.08.2019 के |
| | श्री एम | न्यायालय | | | कावेरी, पलारू, | | द्वारा न्यायालय में कांउटर |
| | मुनियासामी | (मदुरई) | | | वैगई, थमीरा | | एफिडैविट दायर की गई |
| | फाउंडर सह | Ü | | | परानी-बैप्पारू और | | है। अगली तारीख तय |
| | प्रबंधन ट्रस्टी, | | | | कुंदारू जैसी | | नहीं की गई है। |
| | तमिलनाइ | | | | नदियों को आपस | | |
| | लीगल सेफ्टी | | | | में जोड़ने के लिए | | |
| | मूवमेंट | | | | ण आड्रम पर स्पर | | |
| 12 | मूपमट डब्ल्यू पी सं. | तमिलनाडु | श्री के. | 14.03.2019 | तमिलनाइ की | दायर | यूएसआर सं. 67089 |
| 12 | 1590/2018 | उच्च | | 14.03.2019 | सिंचाई परियोजना | पायर | दिनांक 28.08.2019 के |
| | | | बालासुंदरम | | में सरकारी निधि | | द्वारा न्यायालय में कांउटर |
| | | न्यायालय ′——`` | | | | | |
| | सुंदरावैल द्वारा | (मदुरई) | | | का दुरूपयोग | | एफिडैविट दायर की गई |
| | दायर किया | | | | (राजविअ के | | है। अगली तारीख तय |
| 40 | गया। | 6 | 0 \ | | दायरे में नहीं है) | | नहीं की गई है। |
| 13 | डब्ल्यू पी सं. | J | श्री के. | 14.03.2019 | देरापराई बांध का | दायर | यूएसआर सं. 67088 |
| | 4000/2019 | उच्च | बालासुंदरम | | निर्माण (राजविअ | | दिनांक 28.08.2019 के |
| | श्री एन. | न्यायालय | | | के दायरे में नहीं | | द्वारा न्यायालय में कांउटर |
| | गनेशेकरन | (मदुरई) | | | 考) | | एफिडैविट दायर की गई |
| | द्वारा दायर | | | | | | है। अगली तारीख तय |
| | किया गया। | | | | | | नहीं की गई है। |
| 14 | डब्ल्यू पी सं. | तमिलनाडु | श्री के. | 14.03.2019 | मेयानुर वैराज से | दायर | यूएसआर सं. |
| | 4351/2019 | उच्च | बालासुंदरम | | नहर द्वारा कावेरी | | 66879/2019 दिनांक |
| | श्री ए. | न्यायालय | | | अग्नियारू तथा | | 26.08.2019 के द्वारा |
| | मुरूगसन | (मदुरई) | | | दक्षिणी वेल्लार | | न्यायालय में कांउटर |
| | सचिव, | | | | नदियों को | | एफिडैविट दायर की गई |
| | परिवालियल | | | | जोड़ना। राजविअ | | है। अगली तारीख तय |
| | स्गरकेन, | | | | गतिविधियों से | | नहीं की गई है। |
| | फार्मर्स | | | | संबंधित | | |
| | एशोसिएशन | | | | | | |
| 15 | डब्ल्यू पी सं. | तमिलनाइ | श्री के. | 14.03.2019 | कन्याकुमारी जिले | दायर | यूएसआर सं. |
| | 2864/2017 | उ उच्च | बालासुंदरम | | में बांधों एवं | | ूँ 66983/2019 दिनांक |
| | श्री कुमारी | न्यायालय | 5 | | तालाबों पर ड्रेज | | 27.08.2019 के द्वारा |
| | महा सभा द्वारा | (मदुरई) | | | डिसिल्ट एवं | | न्यायालय में कांउटर |
| | दायर किया | 3 · | | | रखरखाव करना | | एफिडैविट दायर की गई |
| | गया। | | | | (राजविअ के | | है। अगली तारीख तय |
| | | | | | दायरे में नहीं है) | | नहीं की गई है। |
| 16 | डब्ल्यू पी सं. | तमिल | श्री के. | 14.03.2019 | जलाशयों में जमा | दायर | यूएसआर सं. 66872 |
| | 4998/2017 | नाडु उच्च | बालासुंदरम | | कीचड़ और कीचड़ | | दिनांक 26.08.2019 के |
| | श्री के.के. | न्यायालय | | | युक्त मिट्टी को | | द्वारा न्यायालय में कांउटर |
| | रमेश द्वारा | (मदुरई) | | | निकालना - | | एफिडैविट दायर की गई |
| | दायर किया | 5 | | | (राजविअ के | | है। अगली तारीख तय |
| | गया। | | | | दायरे में नहीं है) | | नहीं की गई है। |
| | <u> </u> | | l . | l . | | 1 | |

| 17 | डब्ल्यू.पी.सं. 19102/2019 श्री विश्वजीत रातोनिया द्वारा दायर किया गया। | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच | श्री फैजल अली शाह, अधिवक्ता | 10.09.2019 | स्वर्ण रेखा नदी की वाटर हार्वेस्टिंग | दायर | दिनांक 06.03.2020 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
|----|---|---|--|-------------|---|--------------------------|--|
| 18 | डब्ल्यू.पी.सं. 46919/14 श्री जी. राजन्ना, एमटीएस, नासिक द्वारा दायर किया गया। | कर्नाटक उच्च न्यायालय (बेंगलुरु) | श्री पी.बी. पुट्टसिद्दैया, सीजीएससी | 23.19.2014 | फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में | दायर | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 19 | डब्ल्यू.पी.सं. 11438/2022 श्री पुष्पेंद्र, सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2021 में कनिष्ठ अभियंता उम्मीदवार द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली का उच्च न्यायालय | श्री अजय जैन, वरिष्ठ पैनल परामर्शदाता | 29.07.2022 | श्री पुष्पंद्र की पद पर नियुक्ति के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अदालत ने राजविअ को आईएसआईएस के स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2022 के तहत नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख 14.09.2023 है। |
| 20 | डब्ल्यू.पी.सं. 6318/2022 श्री मुज्जफर अहेमद रिटायर्ड निदेशक(तक.) | दिल्ली का उच्च न्यायालय | श्री संजीव कुमार बाल्यान | 18.04. 2022 | सीडब्ल्यूसी के समतुल्य ग्रेड पे पाने हेतु | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख 07.12 .2023 है। |

3. केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट)

| क्र.सं | पिटीशन | ट्रिब्यूनल | सीजीएससी | दायर करने | शामिल बड़े मुद्दे | हलफनामा | वर्तमान स्थिति |
|--------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| | संख्या तथा | का नाम | का नाम और | की तारीख | | दाखिल | |
| | पिटीशनर का | / | मोबाइल नं. | | | करने की | |
| | नाम | न्यायालय | | | | स्थिति | |
| | | | | | | | |
| 1 | ओ.ए. सं. | कैट, | श्री ताजुद्दीन | 09.01.2018 | अनुकम्पा आधार | दायर | अगली तारीख तय नहीं |
| | 31/2018 श्री | जबलपुर | खान, | | पर नियुक्ति के | | की गई है। |
| | अभिषेक राव | | अधिवक्ता | | संबंध में | | |
| | सूर्यवंशी द्वारा | | | | | | |
| | दायर किया | | | | | | |
| | गया। | | | | | | |
| 2 | ओ.ए. सं. | कैट, | श्री वाई. पी. | 28.03.2017 | याचिकाकर्ता नें | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 1122/2017 | दिल्ली | सिंह, | | ए.सी.पी/ | | 18/10/2023 है। |
| | श्री रमेश चंद्र, | | अधिवक्ता | | एम.ए.सी.पी लाभ | | |
| | अ.श्रे.लि. द्वारा | | | | वापस लेने के | | |

| | दायर किया | | | | लिए राजविअ के | | |
|-----|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | |
| | गया। | | | | निर्णय के विरूद्ध ` | | |
| | | | | | ओ.ए. दायर | | |
| | | | | | किया। | | |
| 3 | ओ.ए. सं. | कैट, | श्री विजेन्द्र | 28.09.2018 | याचिकाकर्ता नें | दायर | सुनवाई की पिछली तिथि |
| | 3703/2018 | दिल्ली | सिंह, | | ए.सी.पी/ | | 01/11/2023 है। |
| | श्री मती | | अधिवक्ता | | एम.ए.सी.पी लाभ | | |
| | संगीता | | | | वापस लेने के | | |
| | मेहरोत्रा, आशु | | | | लिए राजविअ के | | |
| | लिपिक-॥ | | | | निर्णय के विरूद्ध | | |
| | द्वारा दायर | | | | ओ.ए. दायर | | |
| | किया गया। | | | | किया। | | |
| 4 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री जितेन्द्र | 27.01.2021 | पेंशन नियम | दायर | |
| | आ.ए. स. 260/50/20 | पाट, पाटपा | | 21.01.2021 | | पायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | | | कुमार | | 1972 के अनुसार | | अधिसूचित नहीं की गई। |
| | 21 श्री अशोक | | नायक, | | पेंशन संबंधी लाभ | | , |
| | कुमार | | सीनियर | | प्रदान करने के | | |
| | मोहन्ती एवं | | पैनल | | संबंध में | | |
| | अन्य के द्वारा | | काउंसिल | | | | |
| | दायर किया | | (सी.जी.) | | | | |
| | गया | | 943707016 | | | | |
| 5 | ओ.ए. सं. | कैट, | 6 श्री के.एस. | 17.12.2021 | राजविअ में | दायर | (0 |
| | 242/2021 | जाधपुर | यादव, | 11.12.2021 | कनिष्ठ अभियंता | 4171 | सुनवाई की अगली तिथि |
| | थ्री नरेश | जायपुर | यादव, अधिवक्ता | | के पद पर उनकी | | अधिसूचित नहीं की गई। |
| | | | आधवका एसीजीएससी | | | | |
| | कुमार द्वारा | | रसायारससा | | सेवा बहाल करने | | |
| | दायर किया | | | | के संबंध में | | |
| 6 | गया | N | ۵ ۵ | 0.00.00.00 | | | |
| O | ओ.ए. सं. | कैट, | श्री जी. — `— | 25.02.2022 | सहायक अभियंता | दायर | अगली तारीख तय नहीं |
| | 134/2022 | चेन्नई | दामोदरन | | के पद पर | | की गई है। |
| | श्री टी. | | | | पदोन्नति हेतु | | 14 (/1 |
| | महेन्द्रन द्वारा | | | | दिनांक | | |
| | दायर किया | | | | 16.10.2020 से | | |
| | गया | | | | | | |
| 7 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री घसी | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 608/2022 | | राम वर्मा | | प्राप्त करने के | | 01/09/2023 है। |
| | | | | | संबंध में | | |
| 8 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्रीमती ऊ. | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 609/2022 | | रा, पधि | | प्राप्त करने के | | 01/09/2023 है। |
| | | | • | | संबंध में | | , , |
| 9 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री गोपीनाथ | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 610/2022 | 1.0, 1.047 | सेठी | | प्राप्त करने के | ۷, ۱۱ | 01/09/2023 है। |
| | , | | (101 | | प्रांत पारण पा संबंध में | | 01/07/2020 PI |
| 10 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री राजेश | 17.11. 2022 | पंशन संबंधी लाभ | ਕਾ ਹਾ | प्रचलार्ट की अग्रामी निक |
| 10 | ਤਜ਼.ए. स. 611/2022 | फट, फटफ | | | | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 011/2022 | | कुमार | | प्राप्त करने के | | 01/09/2023 है। |
| 4.4 | | ., | महापात्रा | 17 11 0000 | संबंध में | | (0 |
| 11 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री अमृत | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| 1 | 612/2022 | | मिश्रा | | प्राप्त करने के | | 01/09/2023 है। |

| | | | | | संबंध में | | |
|----|-------------|----------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| 12 | ओ.ए. सं. | कैट, कटक | श्री अरुण | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 613/2022 | | कुमार साहु | | प्राप्त करने के | | 01/09/2023 है। |
| | | | | | संबंध में | | |
| 13 | ओ.ए. सं. | कैट, | श्री अदिश | 05.08.2022 | डायरेक्टर(तक.) | दायर | सुनवाई की अगली तिथि |
| | 2038/2022 | दिल्ली | जैन | | के पद पर | | 08/09/2023 है। |
| | | | | | पदोन्नति के लिए | | |
| 14 | ओ.ए. | कैट, कटक | राबी संकर | 20.04.2023 | वेतन निरधारण | भरने की | अगली तारीख तय नहीं |
| | सं.151/2023 | | पटनायक | | से संबंधित | प्रक्रिया में | की गई है। |
| 15 | ओ.ए. | कैट, कटक | श्री घसी | | पेंशन संबंधी लाभ | भरने की | सुनवाई की अगली तिथि |
| | सं.215/2023 | | राम वर्मा | | प्राप्त करने के | प्रक्रिया में | 09/08/2023 है। |
| | | | | | संबंध में | | |
| 16 | ओ.ए. | कैट, कटक | श्री र क साहु | | पेंशन संबंधी लाभ | भरने की | सुनवाई की अगली तिथि |
| | सं.213/2023 | | | | प्राप्त करने के | प्रक्रिया में | 01/08/2023 है। |
| | | | | | संबंध में | | |

सार

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम | मामलों की संख्या |
|---------|---------------------------------|------------------|
| 1. | माननीय उच्चतम न्यायालय | 02 |
| 2. | माननीय उच्च न्यायालय | 20 |
| 3. | माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधकरण | 16 |
| | कुल | 38 |